कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

–: आदेश :–

क्रमांक–163/एक–9–3/2001(S.W.) जबलपुर दिनांक 28/12/23

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराधों के सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदान किये जाने के फलस्वरूप एकादश/अठारहवां अपर सत्र न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की दशा में व अन्य किसी प्रकार की अनुपस्थिति की दशा में आगामी आदेश पर्यन्त लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराधों से संबंधित अत्यावश्यक कार्य की सुनवाई का क्षेत्राधिकार संपादित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि स्थिति यह निर्मित होती है, कि सूची में वर्णित कॉलम नं0–(2) के न्यायालय के कार्य हेतु अधिकृत कॉलम नं0 (03) एवं (04) के सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उक्त तिथि में अनुपस्थित हों, तो ऐसी दशा में अगले अनुक्रमांक के कॉलम नं0–(2), (3) एवं (4) में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को उक्त न्यायालय के आप. राधिक प्रकरणों से संबंधित अत्यावश्यक कार्य, जमानत आवेदन–पत्रों एवं अन्य आवश्यक आवेदन–पत्रों का निराकरण मूल आदेश में दर्शित क्रमानुसार उपलब्धता के आधार पर किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है–

–: सारणी :–

क्र.	न्यायालय का पदनाम	न्यायालय का पदनाम जिसके पीठासीन अधिकारी कार्य करने हेतु अधिकृत रहेंगे	न्यायालयों के पदनाम जो कालम नं0 (3) में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर क्रमानुसार कार्य करेंगे।	
1	2	3	4	
1	एकादश अपर सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	अठारहवां एएसजे, जबलपुर	1	नवम् एएसजे, जबलपुर
			2	अष्टम् एएसजे, जबलपुर
			3	चतुर्थ एएसजे, जबलपुर
			4	सप्तम् एएसजे जबलपुर
2	अठारहवां अपर सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	एकादश एएसजे, जबलपुर	1	सप्तम एएसजे, जबलपुर
			2	चतुर्थ एएसजे, जबलपुर
			3	द्वादश एएसजे, जबलपुर
			4	नवम् एएसजे, जबलपुर

नोटः– यदि स्थिति यह निर्मित होती है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष सारणी के कॉलम नंबर 03 एवं 04 अनुक्रमांक में उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त तिथि में अनुपस्थित रहते हैं तो इस दशा में जबलपूर मुख्यालय में जो वरिष्ठताक्रम में अपर सेशन न्यायाधीश उपलब्ध रहेंगे उनके द्वारा अत्यावश्यक कार्य का निराकरण किया जाना जावेगा।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर